पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 मई, 2014 ई0 (बैशाख 27, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–20

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	283–289	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	193–224	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

कार्यालय ज्ञाप

04 अप्रैल, 2014 ई0

संख्या 107/xxvii(7)7(1)/2003–सामान्य भविष्य निधि (उत्तराखण्ड), नियमावली, 2006 के नियम 11(1) अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश), नियमावली के नियम 11(1) तथा अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा नियमावली, 1984 के नियम–9 जो उत्तराखण्ड में लागू हैं, एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 01–10–2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, उत्तराखण्ड, अंशदायी भविष्य पेंशन बीमा निधि एवं नई अंशदान पेंशन योजना में अभिदाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में जमा धनराशि तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01–04–2013 से 8.7 प्रतिशत (आठ दशमलव सात प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014–15 में जमा धनराशि तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01–04–2014 से 8.7% (आठ दशमलव सात प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 अप्रैल, 2014 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

21 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 142/बीस–4/2014–2(6)/2009–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना/नियुक्ति पत्र संख्या 192/XX-4/2013-2(06)/2009, दिनांक 18–02–2013 के द्वारा श्री अजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह अद्यतन पता–फ्लेट नं0–पी ए–77, कुंज विहार, चीरा चास, पो0–भर्रा, बोकारो, झारखण्ड–827013, हाल नि0–बी/3/18/574, ओ0एन0जी0सी0 कॉलोनी, पनवेल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र–410221 को 'उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग' में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (वेतनमान ₹ 15,600–39,100 ग्रेड पे–₹ 5400) के पद पर कतिपय शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुये नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे।

2. श्री अजय कुमार द्वारा पत्र दिनांक 05–03–2013 के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु 04 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके दृष्टिगत पत्र संख्या–740/बीस–4/2013–2(6)/2009, दिनांक 29–04–2013 के द्वारा श्री अजय कुमार को कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु 04 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। उप महानिरीक्षक, अग्निशमन एवं आपात सेवा के पत्र संख्या–डीजी–8–51–2007(2), दिनांक 18–11–2013 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अजय कुमार द्वारा 04 माह की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के

पश्चात् भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या–1914/बीस–4/2013–2(6)/2009, दिनांक 29–11–2013 के द्वारा श्री अजय कुमार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु 15 दिन का और अतिरिक्त समय प्रदान करते हुये निर्देशित किया गया कि यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि तक मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. श्री अजय कुमार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु अत्यधिक समय प्रदान किये जानके के पश्चात् भी उनके द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण न किया जाना यह इंगित करता है कि वे उत्तराखण्ड राज्य में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः श्री अजय कुमार अद्यतन पता–फ्लेट नं0–पी ए–77, कुंज विहार, चीरा चास, पो0–भर्रा, बोकारो, झारखण्ड–827013, हाल निवासी–बी/3/18/574, ओ0एन0जी0सी0 कॉलोनी, पनवेल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र–410221 की अधिसूचना/नियुक्ति पत्र संख्या–192/XX-4/2013-2(06)/2009, दिनांक 18–02–2013 के द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी (वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे–₹ 5400) के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

संख्या–100/XXIV-3/14/03(29)2013

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 28 फरवरी, 2014

विषय– मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 462/2013 'प्रदेश के हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार के रूप एक प्रशस्ति–पत्र एवं ₹ 1000 की धनराशि का वितरण प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/अका0/75351/7(50)A–1/उ0सं0प्र0/2013–14 दिनांक 13 जनवरी, 2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रशस्ति–पत्र एवं ₹ 1000 की धनराशि स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार के रूप में शैक्षिक सत्र 2014–15 से प्रारम्भ करते हुए इसका वितरण प्रतयेक ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने एवं उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर पुरस्कार वितरण हेतु निम्नवत् समिति गठित करते हुए प्रदेश में उक्त योजना को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	अध्यक्ष
2. वरिष्ठतम प्रधानाचार्य (सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	सदस्य सचिव
3. वरिष्ठतम प्रधानाचार्या (सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	सदस्य
4. वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक (सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	सदस्य
5. वरिष्ठतम प्रधानाध्यापिका (सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	सदस्य

2. पुरस्कार वितरण हेतु निम्नांकित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) पुरस्कार वर्ष 2014 की परिषदीय परीक्षा से प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) विकासखण्ड स्तर पर स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार का वितरण नवम्बर माह में राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के अवसर पर किया जायेगा।

(iii) उपर्युक्त गठित समिति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् से प्राप्त 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को पुरस्कृत किये जाने हेतु समारोह का आयोजन करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(iv) किसी विद्यार्थी की माता के न होने पर निकटस्थ महिला अभिभावक को पुरस्कार दिया जायेगा। प्रशस्ति–पत्र माता के नाम का ही बनेगा।

(v) दो या दो से अधिक पुत्र–पुत्रियों को पुरस्कार हेतु अर्ह होने पर प्रति विद्यार्थी पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(vi) सम्पूर्ण राज्य में प्रशस्ति–पत्र को एकरूपता दिये जाने के उद्देश्य से प्रशस्ति–पत्रों का प्रकाशन राज्य स्तर पर किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 232(P)/XXVII(3)/2013-14, दिनांक 20 फरवरी, 2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

प्रोन्नति

27 मार्च, 2014 ई0

संख्या 390/XXVIII-2/01(139)2009–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक ग्रेड वेतनमान वेतन बैण्ड–4 ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन–₹ 8700 के पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त, वर्तमान तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक, वेतनमान वेतन बैण्ड–4 ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन–₹ 8900 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम
1.	डा0 इन्दु पुनेठा,
2.	डा0 चन्द्रा पन्त,
3.	डा0 देवेन्द्र प्रताप दुर्गापाल,
4.	डा0 ललित मोहन उप्रेती,
5.	डा0 गोविन्द सिंह रौथान,
6.	डा0 ललित मोहन सुन्दरियाल,
7.	डा0 ज्ञानेन्द्र सिंह रावत,

2. उपरोक्तानुसार पदोन्नत अपर निदेशकों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

09 अप्रैल, 2014 ई0

संख्या 492/XXXX/2014-18/2004–अधिसूचना संख्या–1890/XXXX/2013-18/2004 दिनांक 05 सितम्बर, 2013 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 152 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा0 पी0डी0 चमोली, संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त नियमावली के भाग–16 के प्रयोजनों के लिये, उनके विद्यमान कर्तव्यों के अतिरिक्त सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य हेतु राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी का कार्यकाल वर्ष 2014–15 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

संख्या–577/II-2014-01(01)/2014

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय–सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर–II के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 07–01–2014 एवं पत्र संख्या 96/मु0अ0वि0/विभा0अनु0/आर–2 काडर स्ट्रक्चर दिनांक 15–01–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में विगत वर्ष जून माह, 2013 में आई दैवीय आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य/नहर निर्माण कार्य शीघ्रता से सम्पादित किये जाने हेतु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में सृजित पदों के अतिरिक्त 04 मुख्य अभियन्ता स्तर–II के पद निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पद	वर्तमान ₹ में	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
1.	मुख्य अभियन्ता स्तर–I/ विभागाध्यक्ष	वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड पे ₹ 10000	देहरादून	सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
2.	मुख्य अभियन्ता स्तर–II (सिविल)	वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड पे ₹ 8900	डीडीहाट	पिथौरागढ़
3.	मुख्य अभियन्ता स्तर–II (सिविल)	– तदैव –	बागेश्वर	बागेश्वर
4.	मुख्य अभियन्ता स्तर–II (सिविल)	– तदैव –	हल्द्वानी	चम्पावत,अल्मोडा, नैनीताल, टनकपुर (तराई भाबर क्षेत्र को छोड़कर)
5.	मुख्य अभियन्ता स्तर–II (सिविल)	– तदैव –	रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर, टनकपुर (तराई भाबर क्षेत्र)
6.	मुख्य अभियन्ता स्तर–II (सिविल)	– तदैव –	हरिद्वार	हरिद्वार, देहरादून
7.	मुख्य अभियन्ता स्तर–II (सिविल)	– तदैव –	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी तथा टिहरी (कीर्तिनगर तहसील को छोड़कर)
8.	मुख्य अभियन्ता स्तर–II (सिविल)	– तदैव –	श्रीनगर	पौड़ी, टिहरी (मात्र कीर्तिनगर तहसील)
9.	मुख्य अभियन्ता स्तर–II (सिविल)	– तदैव –	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग, चमोली
10.	मुख्य अभियन्ता स्तर–II (सिविल)	– तदैव –	रुड़की	आई0आर0आई0, प्रशिक्षण संस्थान

2. नये सृजित किये जा रहे 04 मुख्य अभियन्ता स्तर–II के पद तीन वर्ष के लिए सृजित किये जा रहे हैं। इन पदों की निरन्तरता तीन वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्यांकन एवं तद्समय वर्कलोड के आधार पर आंकलन के उपरान्त ही किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

3. उक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्य संचालन में किसी भी कठिनाई का निराकरण यथावश्यकता शासन के अनुमोदन से किया जायेगा।

4. उक्त मुख्य अभियन्ता स्तर–II के कार्यालयों को प्रोजेक्ट मोड में संचालित किया जायेगा तथा उन्हें आवास, वाहन इत्यादि की सभी सुविधायें अनुमन्य होंगी तथा प्लानिंग एवं डिजायनिंग का कार्य आउटसोर्स से किया जायेगा।

5. पीएमयू की स्थापना के साथ मैनेजमेन्ट विंग एवं टेक्निकल विंग कार्यरत रहेगी, जिसके लिए बजट पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रस्ताव/आख्या तीन दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–781/XXXVI(2)/2014 दिनांक फरवरी, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 हिन्दी गजट/348–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 मई, 2014 ई0 (बैशाख 27, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

22 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 6136/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03/13–14/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 302/2014/25(120)/XXVII(8)/2014 दिनांक 20–03–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के अधीन वर्ष 2010–2011 के लिये कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 31–05–2014 तक किये जाने से अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त विभाग

अधिसूचना

20 मार्च, 2014 ई0

सं0 302/2014/25(120)/XXVII(8)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 32 की उपधारा (12), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण

खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के अधीन वर्ष 2010–2011 के लिये कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 31–05–2014 तक किया जा सकता है।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 302/2014/25(120)/XXVII(8)/2014,** dated March 20, 2014 for general information.

NOTIFICATION

March 20, 2014

No. 302/2014/25(120)/XXVII(8)/2014--In exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 32 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to order that tax assessment or tax reassessment of cases under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 for the year 2010-2011 can be made upto 31-05-2014.

By Order,

RAKESH SHARMA,
Additional Chief Secretary.

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

25 मार्च, 2014 ई0

विषय– जनपद हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर में स्थित प्रमुख संस्थाओं का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांक 6291/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03/13–14/देहरादून–उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 438/XXXI(13)G/14-10 (सा0)/2014/दिनांक 05–03–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के जनपद हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर में स्थित प्रमुख संस्थाओं का नाम महर्षि वाल्मिकी, सन्त रैदास, बाबा साहब फूले, अहिल्या बाई होल्कर, श्री राजेश पाइलट तथा चौधरी चरण सिंह के नाम रखे जाने से अवगत कराया गया है।

उपरोक्त पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संख्या–438/XXXI(13)G/14-10(सा0)/2014

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून, दिनांक 05 मार्च, 2014

विषय– जनपद हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर में स्थित प्रमुख संस्थाओं का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक रूप से विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जनपद–हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर में स्थित प्रमुख संस्थाओं का नाम महर्षि वाल्मिकी, सन्त रैदास, बाबा साहब फूले, अहिल्या बाई होल्कर, श्री राजेश पाइलट तथा चौधरी चरण सिंह के नाम रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कृपया उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव।

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

26 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 6326/आयु0कर उत्तरा0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 01/13–14/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0–327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 26–03–2014 एवं शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0–328/2014/181(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 26–03–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम–2005 में संशोधन एवम् उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–II(ख) में संशोधन करने की स्वीकृत प्रदान करते हुये अवगत कराया गया है। संशोधन से पूर्व चावल, गेहूँ, धान व दालें की प्रविष्टि दो स्थानों पर थी। उक्त संशोधन द्वारा इस कमी को दूर किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि शासन द्वारा जारी अधिसूचना में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

26 मार्च, 2014 ई0

सं0 327/2014/181(120)/XXVII(8)/2008–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 11 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005, जिसे यहाँ आगे "मूल नियम" कहा गया है, के नियम 11 में :–

(1) उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रम संख्या 1 पर तीसरे स्तम्भ में प्रयुक्त शब्दावली, अल्प विराम एवं अंक "त्रैमासिक, जून 30, सितम्बर, 30 दिसम्बर 31 और मार्च 31 को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिये उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दावली, अल्प विराम एवं अंक रख दिया जायेगा; अर्थात्–

"त्रैमासिक, जून 30, सितम्बर 30, दिसम्बर 31 और मार्च 31 को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिये उत्तरवर्ती माह की अन्तिम तारीख तक।"

(2) उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 व 6 पर चौथे स्तम्भ में प्रयुक्त शब्दावली एवं अंक "उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक" के स्थान पर "उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक" शब्दावली एवं अंक रख दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के तीसरे परन्तुक के बाद निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात –

परन्तु यह और कि इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, जहॉ किसी

ब्यौहारी अथवा व्यक्ति से विभागीय वैबसाईट पर बिना डिजिटल हस्ताक्षर के सावधिक विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है कमिश्नर, यदि सन्तुष्ट हैं तो, सभी ब्यौहारियों अथवा व्यक्तियों के लिए अथवा ब्यौहारियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए, जैसा वह उचित समझें, ऐसी विवरणियों की इलैक्ट्रॉनिकली जनरेटेड एवं हस्ताक्षरित हार्ड कापी को दाखिल किए जाने की आवश्यकता को निम्न शर्तों के अधीन शिथिल कर सकता है :–

(एक) कि ऐसी विवरणियों से संबंधित इलैक्ट्रोनिकली जनरेटेड "पावती" की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कापी, कर अथवा अन्य देयों के भुगतान अथवा ई–भुगतान के साक्ष्यों सहित दाखिल कर दी गयी है; और

(दो) यह कि ऐसी इलैक्ट्रोनिकली जनरेटेड विवरणियों की हार्ड कापी उतने समय तक, जितना कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन लेखों के सुरक्षित रखने के लिए प्राविधानित है, सुरक्षित रखी जायेगी; और

(तीन) यह कि ऐसी संरक्षित हार्ड कापी, जब भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 327/2014/181(120)/XXVII(8)/2008,** dated March 26, 2014 for general information.

NOTIFICATION

Marcdh 26, 2014

No. 327/2014/181(120)/XXVII(8)/2008--In exercise of the powers conferred by section 71 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, The Governor is pleased to make the following rules with a *view* to further amend the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005.

The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2014

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Amendment in Rule 11

2. In rule 11 of The Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005, hereinafter referred to as the "Principal Rules"-

(1) In the third column at serial no. 1 of the table given in sub-rule (1), for the words, comma and figure "Quarterly, for quarter ending June 30, September 30, December 31 and March 31 up to 25th of the succeeding month" the words, comma and figure shall be substituted as follows; namely :-

"Quarterly, for quarter ending June 30, September 30, December 31 and March 31 up to the last date of the succeeding month"

(2) In the 4th column at serial no. 1,2, 3, 4, 5 and 6 of the table given in sub-rule (1), for the words and figure "25th of the succeeding month" the words and figure *"20th of the succeeding month"* shall be substituted.

(3) After the third proviso of sub-rule (1) a new proviso shall be added as follows; namely:-

Provided further that, notwithstanding anything contained in this Rule, where a dealer or a person is required to submit periodical return online on the website of the department without digital signature, commissioner, if satisfied, may ***waive,*** *for all dealers or persons or for a class of dealers or persons which he deems fit, the requirement of submission of electronically generated and signed hard copy of such return* ***with the conditions;***

(i) *that a duly signed electronically generated hard copy of the "acknowledgement" related to such return is submitted along with hard copy of the proof of payment or e-payment of tax or any other dues; and*

(ii) that the hard copy of such electronically generated return is protected for the period as is provided to preserve the "accounts" under sub-section (1) of section 61; and

(iii) that such ptotected hard copy is produced whenever so required by the assessing authority.

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

26 मार्च, 2014 ई0

सं0 328/2014/181(120)/XXVII(8)/2008–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:–

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची–II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची–II(ख) के क्रमांक 92 की वर्तमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 328/2014/181(120)/XXVII(8)/2008,** dated March 26, 2014 for general information.

NOTIFICATION

Marcdh 26, 2014

No. 328/2014/181(120)/XXVII(8)/2008--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, the following amendments in Schedule- II(B) of Value Added Tax Act with effect from the date of publication of this notification in Gazette.

Amendments

In Schedule-II(B), the goods specified at serial No. 92 shall be deleted.

By Order,

RAKESH SHARMA,
Additional Chief Secretary.

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

27 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 6351/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03/13–14/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं0–103/XXXVI(3)2014/21(1)/2014 दिनांक 04–03–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 में अग्रेत्तर संशोधन करते हुये अवगत कराया गया है:–

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

क्रम संख्या–60

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 मार्च, 2014 ई0
फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 103/XXXVI(3)/2014/21(1)/2014

देहरादून, 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014" पर दिनांक 03 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014

(अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये –

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 25 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा 25–क जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :–

25–क: कतिपय वादों में स्वतः कर निर्धारण :

(1) बड़ी संख्या में अनिस्तारित ऐसे वार्षिक कर निर्धारण वादों, जिनमें अपेक्षाकृत कम टर्नओवर अथवा कर निहित है, को निपटाने के उद्देश्य से, इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह प्राविधानित किया जाता है कि कमिश्नर, विज्ञप्ति जारी करके यह घोषित कर सकते हैं कि ऐसी विज्ञप्ति में सूचीबद्ध पंजीकृत व्यौहारी, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 अथवा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए जैसा कि ऐसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट हो, निम्न आधारों पर स्वतः ही कर निर्धारित मान लिये जायेंगे;

(क) ऐसे मामले, जिनमें इस धारा का प्राविधान लागू होने तक सभी सावधिक विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी है, लेकिन वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है, में इन सभी विवरणियों में स्वीकृत करदेयता; और

(ख) ऐसे मामले, जिनमें इस धारा का प्राविधान लागू होने तक कोई सावधिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है अथवा सभी सावधिक विवरणियाँ दाखिल नहीं की गयी है परन्तु वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता; और

(ग) ऐसे मामले, जिनमें इस धारा का प्राविधान लागू होने तक सभी सावधिक विवरणियॉ दाखिल कर दी गयी है और वार्षिक विवरणी भी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता;

परन्तु यह कि –

(एक) ऐसे ब्यौहारी का कर निर्धारण अनिस्तारित हो और वह कर निर्धारण वर्ष 2011–12 अथवा 2012–13 के अतिरिक्त अन्य वर्ष से संबंधित न हो; और

(दो) ऐसे ब्यौहारी का संबंधित कर निर्धारण वर्ष में "सकल वार्षिक आवर्त" एक करोड़ रूपये से अधिक न हो। परन्तु यदि ऐसे ब्यौहारी, जिसके द्वारा केवल अनुसूची–III की क्रम संख्या 2, 3 और 8 पर विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल में ही सव्यवहार किया गया हो और ऐसे माल को पंजीकृत ब्यौहारियों से खरीद करने के पश्चात् प्रदेश में बिक्री किया गया हो, पर ऐसी सीमा लागू नही होगी; और

(तीन) ऐसे मामले, जिनमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 अथवा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत कोई कर की मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, में वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी हो तथा ऐसे दावों के समर्थन में संबंधित अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा, प्रमाण पत्र अथवा अन्य साक्ष्य दाखिल कर दिए गए हों; और

(चार) ऐसे कर निर्धारण वर्ष से संबंधित, कर निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश अथवा नोटिस के विरूद्ध कोई रिट अथवा धारा 51 या धारा 53 के अन्तर्गत कोई अपील दायर न की गयी हो;

परन्तु यह और कि –

*(एक) ऐसे ब्यौहारी द्वारा **संकर्म संविदा** के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) के अन्तरण का कोई सम्व्यवहार न किया गया हो; और*

*(दो) ऐसे ब्यौहारी द्वारा **"आयरन और स्टील"** अथवा **"खाद्य तेल"** की बिक्री का कोई सम्व्यवहार राज्य के अन्दर के किसी पंजीकृत ब्यौहारी अथवा राज्य के बाहर के किसी ब्यौहारी से न किया गया हो; और*

*(तीन) ऐसे ब्यौहारी द्वारा **ईंटों** अथवा किसी प्रकार के **उपखनिजों** की, खरीद के पश्चात्, कोई बिक्री न की गयी हो; और*

(चार) ऐसे ब्यौहारी द्वारा कोई ऐसा टिम्बर प्रोडक्ट न बेचा गया हो जो राज्य के बाहर से आयातित टिम्बर अथवा राज्य के अन्दर से रियायती करदर से क्रय किए गए टिम्बर से निर्मित किया गया हो और जिस पर कर की दर, शून्य अथवा टिम्बर पर वैट की सामान्य दर से कम हो; और

(पाँच) ऐसे ब्यौहारी द्वारा रू0 5000 से अधिक की वापसी (रिफण्ड) का दावा न किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः कर निर्धारण को, संबधित ब्यौहारी के किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष में अथवा किसी अन्य ब्यौहारी के किसी कर निर्धारण वर्ष में, किसी वस्तु पर कर की दर संबंधी, किसी संव्यवहार के माल की बिक्री से संबंधित अथवा सेवा से संबंधित होने, किसी संव्यवहार के अन्तरराज्यीय बिक्री होने अथवा राज्य के अन्दर बिक्री होने अथवा किसी संव्यवहार के अन्तरराज्यीय बिक्री होने अथवा अन्तरराज्यीय कन्साइन्मेन्ट/स्टाक ट्रांसफर होने आदि से संबंधित विधिक विवादों में, आधार नहीं बनाया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञापित वादों में किसी विवरणी के दाखिल न करने अथवा विलम्ब से दाखिल करने अथवा स्वीकृत कर को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर जमा न करने के कारण अर्थदण्ड अथवा विलम्ब शुल्क आरोपित करने या वसूल करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी और यदि पहले से आरम्भ कर दी गयी है तो ऐसी कार्यवाही रोक दी जायेगी। तथापि स्वीकृत कर एवं देय ब्याज, यदि जमा नहीं किया गया है, तो उसे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार वसूल किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) में प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो जाने के पश्चात् यदि कर निर्धारण अधिकारी, छानबीन(स्क्रूटनी) अथवा प्राप्त सूचना के आधार पर सन्तुष्ट है कि किसी कर निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी वाद में कर की देयता, स्वीकृत कर देयता से रू0 5000 या उससे अधिक है, तो ऐसे कर निर्धारण वर्ष का वाद कमिश्नर, अथवा कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी जो ज्वाइन्ट कमिश्नर से निम्न पद का नहीं होगा, की अनुमति से, लेखा पुस्तकों एवं संबधित दस्तावेजों की जॉच करके पुनः कर निर्धारण करने के लिए खोला जा सकता है और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोले जाने की समय–सीमा, ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा ऐसे वाद में पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समय–सीमा, जिस दिनांक को वाद खोला गया है से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोलने संबंधी किसी निर्णय के विरूद्ध, अधिनियम के अन्तर्गत अपील दाखिल नहीं हो सकेगी।

(6) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (दो) के प्रयोजन हेतु "सकल वार्षिक आवर्त" निम्न का योग होगा :–

प्रदेश के अन्दर के सव्यवहार –

(क) राज्य के अन्दर माल की कर योग्य बिक्री;

(ख) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अन्तर्गत कर योग्य खरीद;

(ग) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) की अनुसूची–I में सूचीबद्ध माल की करमुक्त बिक्री;

(घ) अधिनियम के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत माल की करमुक्त बिक्री; एवं

अन्तरराज्यीय सव्यवहार –

(क) माल की कर योग्य अन्तरराज्यीय बिक्री;

(ख) अधिनियम की धारा 4की उपधारा (2) के खण्ड (क) की अनुसूची–I में सूचीबद्ध माल की करमुक्त अन्तरराज्यीय बिक्री;

(ग) करमुक्त अन्तरराज्यीय बिक्री (केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत);

(घ) देश के बाहर निर्यात का आवर्त;

(ङ) राज्य के बाहर स्टाक ट्रासफर/कन्साइन किए गए माल का मूल्य;

(7) इस धारा के उद्देश्य एवं प्रयोजन को कार्यान्वित करने हेतु कमिश्नर, यदि आवश्यक हो, वांछनीय ऐसे अनुदेश अथवा स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जिससे कि ब्यौहारी के स्तर पर हुई छोटी–छोटी लोप या त्रुटियों के कारण उसे इस धारा के प्राविधानों का लाभ देने से इंकार न किया जा सके।

धारा 74 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) के वर्तमान खण्ड (घ) के उपखण्ड(ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

वर्तमान खण्ड		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड	
जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो	रू0 10	जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो,	(क) रू0 10 (ख) कोई फीस नहीं, जहॉ आवेदन विभागीय वैबसाईट पर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाय।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No: 103/XXXVI(3)/2014/21(1)/2014

Dated Dehradun, March 04, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2014'** (Adhiniyam Sankhya 12 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 03 March, 2014.

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2014

(Act No. 12 of 2014)

An

Act

Further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty fifth year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2014.
(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 25

2. In the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, (hereinafter referred to as the "Principal Act") after section 25 of the Uttarakhand VAT Act, section 25-A shall be added as follows; namely :-

25-A Deemed Assessments in Certain Cases:

(1) With the objective to dispose of a large number of pending annual assessments in which relatively smaller amount of turnover or tax is involved, notwithstanding anything contained in this Act, it is hereby provided that Commissioner may, by notification declare that the registered dealers, as listed in such notification, are deemed to have been self assessed, under The Uttarakhand

VAT Act, 2005 or under sub-section (2) of section 9 of The Central Sales Tax Act, 1956 read with The Uttarakhand VAT Act for the assessment year as mentioned in such notification, on the basis of;

(a) the tax liability admitted in all the periodical returns, in the cases where all the periodical returns are filed but annual return is not filed till the date of commencement of the provisions of this section; and

(b) the tax admitted in the annual return, in the case where any or all of the periodical returns are not filed but annual return is filed till the date of commencement of the provisions of this section; and

(c) the tax admitted in the annual return, in the case where all of the periodical returns and annual return are filed till the date of commencement of the provisions of this section:

Provided that-

(i) assessment of such dealer is pending and is not related to the assessment years other than 2011-12 or 2012-13; and

(ii) the "Annual Gross Turnover" of such dealer in the related assessment year is not more than Rs. 1 crore. However there shall be no such limit for the dealer who has exclusively dealt in the Special Category Goods as specified in schedule III at serial no. 2, 3 or 8, and sold it after purchase from registered dealers within the State; and

(iii) where any exemption, concession or rebate of tax under the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 or Uttarakhand VAT Act, 2005 is claimed, the annual return and the required declarations, certificate or other evidence in support of such claim are submitted as per provision of the related Act and Rules made there under; and

(iv) any appeal under Section 51 or Section 53 or any writ against any order or notice of the assessing officer under any section of the Act, related to such assessment year is not filed.

Provided further that-

(i) such dealer has not made any transaction of transfer of property in goods(whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract; and

(ii) such dealer has not made any transaction of sale of "iron and steel" or "edible oil" to a registered dealer within the state or outside the state; and

(iii) such dealer has not made any sale, after purchase, of bricks or any kind of minor minerals;

(iv) such dealer has not sold any Timber product, the rate of tax on which is either zero or less than the general rate of VAT on Timber and which is made of such timber which is imported from outside the State or purchased from within the State on a concessional VAT rate; and

*(v) such dealer has not claimed a **Refund** of more than **Rs. 5000.***

(2) Deemed assessment under sub-section(1) cannot be made a ground for any legal dispute, in any other assessment of the same dealer or in any assessment of any other dealer, regarding the rate of tax on a particular commodity, certain transaction being a transaction of sale of goods or service, certain transaction being an inter-state sale or intra-state sale or certain transaction being inter-state sale, consignment/ stock transfer etc.

(3) No proceedings for imposing or realising penalty or late fees for not filling or late filing of return or not depositing the admitted tax within prescribed time shall be initiated in the cases notified under sub-section (1) and if already initiated shall be dropped. However, the tax admitted or interest due, if not deposited shall be realised as per provisions of the Act.

(4) After the issue of the notification as provided in sub-section (1) if, on the basis of scrutiny or any information received, the assessing officer is satisfied that the tax liability in any case related to any assessment year exceeds the admitted tax liability by Rs.5000 or more, the case for such an assessment year may be opened, with the permission of the Commissioner or the officer not below the rank of Joint Commissioner authorised for this purpose by the Commissioner, for reassessment after examining the books of accounts and the related documents and notwithstanding anything contained in this Act the limit for opening such case for reassessment shall not be more than 5 year after the close of such assessment year and the limit for finalizing such reassessment shall not be more than one year from the date on which the case is opened.

(5) No appeal under the Act shall lie against any decision under sub-section (4) for opening any case for reassessment.

(6) "Annual gross turnover", for the purpose of clause (ii) of sub-section (1), shall be the sum of :

The State Transactions as under:

(a) taxable sales of goods within the State;

(b) taxable purchase under sub-section(10) of section 3 of the Act;

(c) non taxable sales of goods listed in sch.-I of clause (a) of sub-section(2) of section 4 of the Act;

(d) non taxable sales of goods (as per other provisions of the Act); and

The Inter-state Transactions as under:

(a) taxable inter-state sale of goods;

(b) non taxable inter-state sale of goods listed in sch.-I of clause (a) of sub-section(2) of section 4 of the Act;

(c) non taxable inter-state sale (as per other provisions of the Central Sales Tax Act, 1956);

(d) turnover of export out of the Country;

(e) value of goods stock transferred/ consigned to outside the State.

(7) To carry out the objective and purpose of this section Commissioner may, if required, issue necessary instructions or clarifications so that, due to minor omissions or errors on the part of any dealer, the benefit of the provisions of this section could not be denied.

Amendment of Section 74

3. In sub-clause(ii) of clause (d) of sub-section (1) of section 74 of the "Principal Act", for the existing clause, the following clause shall be substituted; namely-

Existing clause		Hereby substituted clause	
when addressed to any other officer or authority.	Ten rupees	when addressed to any other officer or authority	(a) Ten rupees (b) no fee, where such application is submitted online.

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधायी/267—2014—100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

29 मार्च, 2013 ई0

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम 2005 के नियमावली 55 के अन्तर्गत)

पत्रांक 6384/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03/13–14/देहरादून–वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त की जा रही Online services (e-return, e-registration, e-payment, e-form ('C' & "11"), e-legal application को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 2610/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/ विधि–अनुभाग/पत्रा0 03/13–14/देहरादून दिनांक 02–09–2013 के क्रम में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली–2005 के नियम 11 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार बिन्दु संख्या–1 में आंशिक संशोधन करते हुये आदेशित किया जाता है कि:–

वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रथम तिमाही से सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा सावधिक विवरणियां एवं उसके अनुलग्नक नये version (वर्तमान में 1.5) में ही दाखिल की जायेंगी।

उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

29 मार्च, 2013 ई0

पत्रांक 6385/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03/13–14/देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर हरिद्वार संभाग, हरिद्वार के पत्र संख्या 2909 दिनांक 13–03–2014, द्वारा 01 पत्र संख्या 2908 दिनांक 13–03–2014, द्वारा 01 पत्र संख्या 2770 दिनांक 13–03–2014 द्वारा 01, पत्र संख्या 2903 दिनांक 13–03–2014, द्वारा 02 पत्र संख्या 2784 दिनांक 03–03–2014, द्वारा 02 एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, काशीपुर संभाग, काशीपुर के पत्र संख्या–3606/ज्वा0कमि0 (कार्य0) वा0क0का0/13–14/वि0अनु0/पंजी0नि0/दिनांक 20–03–2014, द्वारा 01, पत्र संख्या 3616 दिनांक 21–03–2014 द्वारा 08 एवं पत्र संख्या 3617 दिनांक 21–03–2014 द्वारा 03 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित व्यापारियों की सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(फार्म अनुभाग),
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 2909/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0कर/2013–14/पंजीयन–निरस्त/वाणिज्य कर/दिनांक 13–03–2014

महोदय,

निवेदन है कि डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर कोटद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 939/डि0कमि0(क0नि0)वा0कर कोट0/2013–14 दिनांक 10–03–2014 से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित व्यापारी की पंजीयन दिनांक 10–03–2014 से निरस्त कर दिया गया है। अतः डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर कोटद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	टिन	निरस्त की तिथि
01.	सर्वश्री भगवती स्टील, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार	05010283189	10–03–2014

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(फार्म अनुभाग),
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 2908/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0कर/2013–14/पंजीयन–निरस्त/वाणिज्य कर/दिनांक 13–03–2014

महोदय,

निवेदन है कि डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) द्वितीय वाणिज्य कर हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 556/डि0कमि0(क0नि0)वा0कर हरि0/2013–14 दिनांक 10–03–2014 से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित व्यापारी का पंजीयन दिनांक 15–02–2014 से निरस्त कर दिया गया है। अतः डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) द्वितीय वाणिज्य कर हरिद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	टिन	निरस्त की तिथि
01.	सर्वश्री ओम् साई ट्रेडर्स चौधरी कॉम्पलैक्स, हरिद्वार रोड, लक्सर, हरिद्वार।	05012224741	15–02–2014

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(फार्म अनुभाग),
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 2770/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0कर/2013–14/पंजीयन–निरस्त/वाणिज्य कर/दिनांक 03–03–2014

महोदय,

निवेदन है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–2, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 898/असि0कमि0वा0कर/खण्ड–2, हरि0/2013–14 दिनांक 20–02–2014 से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित व्यापारी का पंजीयन दिनांक 20–02–2014 से निरस्त कर दिया गया है। अतः असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–2, हरिद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	टिन	निरस्त की तिथि
01.	सर्वश्री इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीयल सप्लायर्स, मकान नं0–01, एक्कड़ खुर्द पथरी, हरिद्वार	05011601322	20–02–2014

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(फार्म अनुभाग),
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 2903/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0कर/2013–14/पंजीयन–निरस्त/वाणिज्य कर/दिनांक 13–03–2014

महोदय,

निवेदन है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–2, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1045/असि0कमि0वा0कर/खण्ड–2, हरि0/2013–14 दिनांक 10–02–2014 से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित व्यापारियों के पंजीयन दिनांक 25–02–2014 से निरस्त कर दिया गया है। अतः असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–2, हरिद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	टिन	निरस्त की तिथि
01.	सर्वश्री एस0 ए0 पी0 एण्टरप्राईजेज, सिडकुल रोड, सलेमपुर चौक, बहादराबाद	05013061948	25–02–2014
02.	सर्वश्री आर0 एस0 एण्टरप्राईजेज, दादूपुर, गोविन्दपुर, बहादराबाद	05013062142	25–02–2014

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(फार्म अनुभाग),
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 2784/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0कर/2013–14/पंजीयन–निरस्त/वाणिज्य कर/दिनांक 03–03–2014

महोदय,

निवेदन है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–2, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1004/असि0कमि0वा0कर/खण्ड–2, हरि0/2013–14 दिनांक 26–02–2014 से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित व्यापारियों के पंजीयन दिनांक 24–02–2014 से निरस्त कर दिये गये हैं। अतः असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–2, हरिद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	टिन	निरस्त की तिथि
01.	सर्वश्री गणेश सेल्स कारपोरेशन (ग्रेनिवल सेल्स, कारपोरेशन) 01 ग्राम–एक्कड़, ज्वालापुर, हरिद्वार	05013022372	24–02–2014
02.	सर्वश्री संजीवनी एण्टरप्राईजेज, मकान नं0–09, ग्राम–सराय, ज्वालापुर, हरिद्वार	05012765516	24–02–2014

हरीश चन्द्र भट्ट,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार।

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि अनुभाग),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 3606 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0 / 13–14 / वि0अनु0 / पंजी0 नि0 / दिनांक 20 मार्च, 2014

महोदय,

निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)प्रथम, वाणिज्य कर काशीपुर के पत्र संख्या–943 दिनांक 18–03–2014 द्वारा अवगत करया है कि व्यापारी सर्वश्री के0सी0एम0सी0 फूड्स, मौहल्ला–आर्यनगर विश्नोई बिल्डिंग, काशीपुर के टिन नं0 05012618561 दिनांक 13–03–2014 से निरस्त कर दिया गया है। सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

बी0एस0 नगन्याल,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि अनुभाग),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 3616 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0 / 13–14 / वि0अनु0 / पंजी0 नि0 / दिनांक 21 मार्च, 2014

महोदय,

निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, किच्छा के पत्र संख्या–1694 दिनांक 13–03–2014 द्वारा अवगत कराया है कि वर्ष 2013–14 (द्वितीय तिमाही) की सावधिक विवरणी दाखिल न किये जाने के कारण मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 18(1)(O) के अन्तर्गत निम्न व्यापारियों के टिन नं0 दिनांक 12–03–2014 से निरस्त कर दिये गये हैं। सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

ह0 (अस्पष्ट),

कृते, ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

धारा 18(1)(O) के अन्तर्गत निरस्त किये गये व्यापारियों की सूचीः–

क्र0सं0	मु0सू0सं0	फर्म का नाम	टिन	निरस्त दिनांक
1.	D072	देव स्टील मैनुफैक्चरिंग, निकट–महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा किच्छा	05013217730	12–03–2014
2.	J038	जम्बो पैक सोल्यूशन, पन्ना पैड़ी प्रोडक्ट्स कॉम्पैलक्स बरेली रोड, किच्छा	05008730607	12–03–2014
3.	M142	मां वाराही ज्वैलर्स, किच्छा	05013191443	12–03–2014
4.	R124	रहमान बिल्डिंग मेटेरियल, किच्छा	05013170685	12–03–2014
5.	S156	श्री श्याम लघु उद्योग, किच्छा	05007786021	12–03–2014
6.	S349	सिंह इण्टरप्राइजेज, बन्डिया, किच्छा	05013164089	12–03–2014
7.	S345	सोहन फैब्रीकेट्र्स, ग्राम–लालपुर, किच्छा	05013099875	12–03–2014
8.	Z002	जोया इण्टरप्राइजेज, वार्ड नं0–7, छोटी मस्जिद, किच्छा	05011994366	12–03–2014

ह0 (अस्पष्ट),

असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,
किच्छा।

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि अनुभाग),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 3617/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/13–14/वि0अनु0/पंजी0 नि0/दिनांक 21 मार्च, 2014

महोदय,

निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर खटीमा के पत्र संख्या 486 दिनांक 18–03–2014 द्वारा अवगत कराया है कि मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत व्यापारियों के टिन नं0 निरस्त कर दिये गये हैं। सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

ह0 (अस्पष्ट),

कृते, ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक,

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर,
खटीमा।

सेवा में,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

पत्रांक 486/डि0कमि0(क0नि0)वा0क0खटीमा/2013–14/दि0 18 मार्च, 2014

महोदय,

निवेदन है कि कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 3555/दिनांक 13–03–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित 03 व्यापारियों का पंजीयन निरस्त के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में वांछित सूचना पुनः आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	व्यापारी का नाम	टिन नं0	धारा	पंजीयन निरस्त दिनांक
01.	सर्वश्री मित्तल इण्टरप्राइजेज, डिग्री कॉलेज रोड, खटीमा	05009814679	धारा–18 के अन्तर्गत	30–01–2014
02.	सर्वश्री एस0ए0 इण्टरप्राइजेज, डिग्री कॉलेज रोड, खटीमा	05009689743	– उक्त –	31–01–2014
03.	सर्वश्री ए0एच0 ट्रेडर्स, वार्ड नं0–03 गौटिया, खटीमा	05010931052	– उक्त –	31–01–2014

ह0 (अस्पष्ट),

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर,
खटीमा।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

29 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 6395/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03/13–14/देहरादून–मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति सं0–3776/आयु0क0/विधि–अनु0/2013–2014/दिनांक 29–10–2013 के बिन्दु सं0–13 के अनुसार द्वितीय त्रैमास के लिए e-forms 'c' जारी करने हेतु अन्तिम तिथि 31–03–2014 निर्धारित की गई थी। उल्लिखित प्रतिबन्ध को वर्ष 2013–2014 के द्वितीय त्रैमास के लिए दिनांक 30–06–2014 तक शिथिल किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़

कार्यालय आदेश

17 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 51/कर पंजी0/यू0ए05–8580/2014–वाहन संख्या यू0ए05–8580 मॉडल 2004 चेसिस संख्या MPFBIC 22322 इंजन नं0 DPMBLC 22310 इस कार्यालय में श्री श्याम सुन्दर पाण्डे पुत्र श्री डी0एन0 पाण्डे धारचूला रोड़, पिथौरागढ़ के नाम से रजिस्टर्ड है। वाहन स्वामी ने सूचित किया है कि उक्त वाहन काफी समय से निष्प्रोज्य अवसथा में पड़ा हुआ है वाहन स्वामी द्वारा 19–11–2013 को वाहन का मूल चैसिस नम्बर वाला भाग इस कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है वाहन फाईनैन्स से मुक्त है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन का पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः मैं गोविन्द लाल आर्य पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग पिथौरागढ़, मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या–यू0ए05–8580 का पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या MPFBIC 22322 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), टिहरी

कार्यालयादेश

20 मार्च, 2014 ई0

21 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 870/कर–पंजी/UP08-3247/2013-14–वाहन संख्या UP08-3247, भार वाहन के स्वामी सचिव, जिला भेषज एवं सहकारी विकास संघ लि0, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल ने दिनांक 14–03–2014 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनका वाहन सं0 UP08-3247, भार वाहन जो 1994 मॉडल है। वाहन अत्यन्त पुरानी होने के कारण मार्ग पर संचालन के योग्य नहीं है। वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन सं0 UP08-3247, भार वाहन का पंजीयन नम्बर निरस्त करने हेतु आवेदन किया है। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया हैं वाहन सं0 UP08-3247, भार वाहन का चेसिस सं0 344073 AVQ102546 तथा इंजन सं0 692D21 AVQ 103054 तथा मॉडल 1994 है।

अतः, मैं, डॉ0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन सं0 UP08-3247, भार वाहन का पंजीयन जिसका चेसिस सं0 344073 AVQ102546 व इंजन सं0 692D21 AVQ 103054 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

डॉ0 अनीता चमोला,
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी,
नई टिहरी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

25 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 380/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी78एन–8333/2014–वाहन संख्या यूपी78एन–8333(ट्रक) मॉडल 1997 चेसिस संख्या 373011DSQ714852 इंजन संख्या 697D22DSQ750038 इस कार्यालय में मैसर्स श्रीसाई रोडवेज एलआईजी 252 शिव मंदिर रोड आवास विकास रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 21–03–2014 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी78एन–8333(ट्रक) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011DSQ714852 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

26 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 388/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी04ए–0400/2014–वाहन संख्या यूपी04ए–0400(ट्रक) मॉडल 1988 चेसिस संख्या 364073288200 इंजन संख्या 697D01296058 इस कार्यालय में मैसर्स महावीर राईस एण्ड जनरल मिल्स अण्डर चार्ज श्री ओ0 पी0 मित्तल काशीपुर रोड, रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 24–03–2014 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी04ए–0400(ट्रक) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364073288200 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 622/टी0आर0/पंजी0नि0/डीएल1एलबी–5738/2014–वाहन संख्या डीएल1एलबी–5738 मॉडल 1995 चेसिस संख्या 14F050734850 इंजन संख्या 50727383 इस कार्यालय में मैसर्स इनोवेटिव टैक प्रा0लि0 रूगंटा इन्डस्ट्रीयल कम्पाउण्ड काशीपुर रोड, रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 19–02–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या डीएल1एलबी–5738 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 14F050734850 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 623/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी31टी–0654/2014–वाहन संख्या यूपी31टी–0654 मॉडल 2003 चेसिस संख्या MA1GF2BCD33H61673 इंजन संख्या BC34H31693 इस कार्यालय में श्री अकबर अली पुत्र श्री सफदर अली, निवासी सोनहरी, वार्ड नं0 2, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 22–03–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी31टी–0654 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1GF2BCD33H61673 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 624/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी86–9321/2014–वाहन संख्या यूपी86–9321 मॉडल 2000 चेसिस संख्या 357124LTZ824536 इंजन संख्या 497SPTC31LZZ850240 इस कार्यालय में शालनी कैमिकल्स बरेली रोड़, सिरोली कला, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 27–03–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी86–9321 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357124LTZ824536 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 625/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी25जी–8965/2014–वाहन संख्या यूपी25जी–8965 मॉडल 1994 चेसिस संख्या 360324BVQ703898 इंजन संख्या 697D23BVQ710351 इस कार्यालय में श्री मुकुल बिष्ट पुत्र श्री खीम सिंह बिष्ट, निवासी म0नं0 370, जवाहर नगर, पन्तनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 22–03–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी25जी–8965 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324BVQ703898 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 626/टी0आर0/पंजी0नि0/डीएल1जीबी–0638/2014–वाहन संख्या डीएल1जीबी–0638 मॉडल 1995 चेसिस संख्या 360324LUQ129541 इंजन संख्या 679D23LUQ147443 इस कार्यालय में श्री विपिन कुमार पुत्र श्री हंस राज, निवासी श्याम नगर, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 26–03–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या डीएल1जीबी–0638 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324LUQ129541 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 627/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी22सी–9908/2014–वाहन संख्या यूपी22सी–9908 मॉडल 1990 चेसिस संख्या 364052523031 इंजन संख्या 697D02979768 इस कार्यालय में श्री परमी पाल पुत्र श्री प्रेमी पाल, निवासी म0नं0 13, सिमला बहादुर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 28–03–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22सी–9908 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052523031 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 628/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी22ए–9914/2014–वाहन संख्या यूपी22ए–9914 मॉडल 1988 चेसिस संख्या 364052874814 इंजन संख्या 692D02902674 इस कार्यालय में श्री अमर सिंह पुत्र श्री दाता राम, निवासी म0नं0 375, एस आर ए इन्द्रा कालोनी रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 27–03–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–03–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके क़ार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22ए–9914 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052874814 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

05 अप्रैल, 2014 ई0

पत्रांक 647/टी0आर0/पंजी0नि0/एचआर46–9488/2014–वाहन संख्या एचआर46–9488 मॉडल 1996 चेसिस संख्या 380010ETQ716536 इंजन संख्या 697D22ETQ750860 इस कार्यालय में श्री भीम सिंह पुत्र श्री श्याम चन्द्र सिंह, निवासी म0नं0 301, ग्राम सरकरा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 29–03–2014 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–04–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एचआर46–9488 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010ETQ716536 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

05 अप्रैल, 2014 ई0

पत्रांक 648 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी04ए–0023 / 2014–वाहन संख्या यूपी04ए–0023 मॉडल 1996 चेसिस संख्या 360044ATQ001063 इंजन संख्या 697D24ATQ101457 इस कार्यालय में श्रीमती पूनम अग्रवाल पत्नी श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, निवासी पौल ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 30–12–2013 को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी04ए–0023 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360044ATQ001063 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

09 अप्रैल, 2014 ई0

पत्रांक 955 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूआरएन–9652 / 2014–वाहन संख्या यूआरएन–9652 मॉडल 1985 चेसिस संख्या 344073798861 इंजन नं0 692d01803289 इस कार्यालय में मैसर्स एस पी सालवैन्ट, काशीपुर रोड, रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 05–04–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–06–2014 तक जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूआरएन–9652 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344073798861 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशासन),

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल

विज्ञप्ति

23 नवम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 1282 चार–42 (2012)–उत्तराखण्ड शासन के शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) के शासनादेश संख्या–246/XXIV(8)/08-43/2007 दिनांक 05 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर 4 के अनुपालन में अकादमी द्वारा दिनांक 16–11–2013 को प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक संसथाओं में कार्यरत सहायक लेखाकारों की लेखाकार के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित की गयी।

इस परीक्षा में सम्मिलित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम, पदनाम एवं तैनाती स्थान
Tech-01	श्री जगदीश प्रसाद जमखोला, सहायक लेखाकार राजकीय पॉलिटेक्निक, श्रीनगर (गढ़वाल)
Tech-04	श्री शिवशरण नौटियाल, सहायक लेखाकार राजकीय पॉलिटेक्निक, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)
Tech-05	श्री राजेश कुमार, सहायक लेखाकार राजकीय पॉलिटेक्निक, देहरादून

विज्ञप्ति

18 मार्च, 2014 ई0

पत्रांक 268 चार–61 (2013)–उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा राज्य के तहसीलदारों हेतु दिनांक 26–12–2013 से 30–12–2013 की अवधि में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया।

विभागीय परीक्षा (तहसीलदार) 2013 में सम्मिलित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

अनुकमांक	अधिकारी का नाम	तैनाती जनपद	उत्तीर्ण किये गये प्रश्न पत्र							
T-13-01	श्री मोहन सिंह बिष्ट,(पुत्र स्व0 श्री कुँवर सिंह बिष्ट),	तहसीलदार, हल्द्वानी, लालकुआ नैनीताल ।	–	–	–	–	च	–	–	–
T-13-02	श्री खीमसिंह बिष्ट,(पुत्र स्व0 श्री मोती सिंह),	तहसीलदार गरूड़, बागेश्वर ।	क	–	ग	घ	च	छ	–	झ
T-13-03	श्री परमानन्द राम,(पुत्र स्व0 श्री बाबू लाल),	तहसीलदार चमोली ।	–	–	ग	–	–	–	–	झ
T-13-04	श्री रमेश चन्द्र गौतम,(पुत्र स्व0 श्री बचीराम),	तहसीलदार सितारगंज,उधमसिंहनगर ।	–	–	–	च	–	–	–	–
T-13-05	श्री प्रकाश शाह,(पुत्र स्व0 श्री के0 डी0 शाह),	तहसीलदार देहरादून ।	–	–	–	च	–	–	–	–
T-13-06	श्री पदमसिंह महरा,(पुत्र स्व0 श्री थानसिंह महरा),	तहसीलदार बागेश्वर ।	क	ख	ग	घ	च	छ	–	झ

1	2	3	4							
T-13-07	श्री शेर सिंह ऐरडा, (पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र सिंह),	तहसीलदार खटीमा, उधमसिंहनगर	–	–	ग	–	–	–	–	–
T-13-08	श्री हरीराम (पुत्र स्व0 श्री लछमन राम),	तहसीलदार अल्मोढ़ा।	क	–	ग	घ	च	छ	–	झ

विषय संकेतः

'क' किमिनल लॉ एण्ड प्रोसीजर एवं किमिनल केस

'ख' रेवेन्यू एण्ड रेन्ट लॉ एवं रेवेन्यू केस

'ग' रेवेन्यू मैन्युअल

'घ' हिन्दीः श्रुतिलेख, अनुवाद, रीडिंग

'च' ट्रेजरी प्रोसीजर एण्ड एकाउण्टस रूल्स

'छ' सिविल लॉ

'ज' एक्साइज

'झ' स्टाम्पस एण्ड कोर्ट फीस एक्टस

अवनेन्द्र सिंह नयाल,
निदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 हिन्दी गजट/348–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।